सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 925 राँची, गुरुवार, 9 अग्रहायण, 1939 (श०)

30 नवम्बर, 2017 (ई०)

### खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

---

संकल्प

13 नवम्बर, 2017

**विषय:- "दीनदयाल लोक वस्तु भण्डार" के तहत् जन वितरण प्रणाली दुकानों में पी॰डी॰एस॰ सामग्री के साथ-साथ नन पी॰डी॰एस॰ सामग्रियों यथा साबुन, चायपत्ती, खाद्य तेल एवं अन्य सामग्री आदि के विक्रय की स्वीकृति।**

**संख्या- 06/ज॰वि॰प्र॰ (चाय)-01/2016 खा॰आ॰ – 4645**-- वर्तमान में राज्य में 23,326 उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत हैं जिनकी संख्या में परिवर्तन होता रहता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्तमान परिपेक्ष्य में उचित मूल्य की दूकानों पर केवल किरासन, चावल, गेहूँ, चीनी एवं नमक का वितरण अनुदानित दर पर किया जाता है।

2) खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या 1580, दिनांक 6 अगस्त, 2009 के द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की आय में वृद्धि के निमित्त नन पी॰डी॰एस॰ सामग्रियों को भी उनके द्वारा रखे जाने की अनुमति दी गई थी परन्तु अभी तक किसी भी जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा नन पी॰डी॰एस॰ सामग्रियों के विक्रय किये जाने की सूचना विभाग को प्राप्त नहीं है । जबकि इन दुकानदारों के द्वारा बार-बार उनको प्राप्त होने

वाले कमीशन में वृद्धि करने एवं इन्हें सरकारी कर्मी घोषित किये जाने का माँग पत्र समर्पित किया जाता रहा है ।

3) अतः जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से नन पी॰डी॰एस॰ सामग्रियों के विक्रय हेतु राज्य स्तर से वस्तु, आपूर्तिकर्ता, लाभुक मूल्य आदि निर्धारण के प्रस्ताव पर विचार किया गया ।

4) राज्य स्तर से वस्तु, आपूर्तिकर्ता, लाभुक मूल्य आदि निर्धारण होने के उपरान्त जन वितरण प्रणाली दुकानदार नन पी॰डी॰एस॰ सामग्रियों को रखने लगेगें । इनके विक्रय पर होने वाले लाभ के कारण जन वितरण प्रणाली दुकानदार अपनी दुकानों को निश्चित निर्धारित अवधि से ज्यादा अवधि तक खुला रख सकते हैं जिससे TPDS के लाभुकों को भी सामान प्राप्त होने में सुविधा प्राप्त होगी ।

5) वर्तमान में जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्ति में महिला स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता देने का प्रावधान है । पी॰डी॰एस॰ सामग्रियों के वितरण के पश्चात् यदि समूह के सभी सदस्यों में प्राप्त कमीशन को बँटवारा किया जाय तो यह अत्यल्प राशि होगी । इस प्रकार जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से नन पी॰डी॰एस॰ सामग्रियों का विक्रय प्रारम्भ किया जा रहा है जिससे महिला स्वयं सहायता समूह भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगी ।

6) जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से नन पी॰डी॰एस॰ सामग्रियों के विक्रय होने से वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे । उनके माध्यम से साबुन, सर्फ, खाद्य तेल, लेखन सामग्री, मसाला, चना, मोमबत्ती, बिस्कुट, चॉकलेट, घी, दाल, गुड़, आचार, बिस्कुट, सौन्दर्य प्रसाधन, डिटर्जेन्ट, शैम्पू, टुथपेस्ट, चायपत्ती, बल्ब, माचिस, फेनाईल, टॉयलट क्लिनर आदि का विक्रय करने पर उनके आमदनी में वृद्धि होगी ।

7) जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन में यह सूचित किया गया कि नन पी॰डी॰एस॰ सामग्रियों की आपूर्ति की कोई विशेष व्यवस्था नहीं होने के कारण तथा बाजार मूल्य से रियायती दर पर सामग्री उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह कार्य जन वितरण प्रणाली दुकान के विक्रेताओं के द्वारा नहीं किया जा रहा है । जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के पास पूँजी की अनुपलब्धता भी नन पी॰डी॰एस॰ सामग्रियों को नहीं रख पाने का एक महत्वपूर्ण कारण है । जिलों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन से यह स्पष्ट हुआ कि ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे कि इन दुकानों के माध्यम से लाभुकों को प्रचलित बाजार दर से कम दर पर वस्तुओं को उपलब्ध कराया जा सके एवं जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ किया जा सके ।

8) अतः राज्य स्तर से नन पी॰डी॰एस॰ सामग्रियों का निर्धारण, आपूर्तिकर्ता का निर्धारण एवं उनका विक्रय मूल्य का निर्धारण कर विक्रय करने का निर्णय लिया गया है ।

9) उक्त के आलोक में जन वितरण प्रणाली दूकानों के माध्यम से नन पी॰डी॰एस॰ सामग्रियों के विक्रय हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं-

I. जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से PDS के साथ-साथ नन पी॰डी॰एस॰ सामग्रियों को विक्रय किया जायेगा । ऐसे जन वितरण प्रणाली दुकानों को **"दीनदयाल लोक वस्तु भण्डार"** के नाम से जाना जायेगा ।

II. प्रारंभ में इस कार्य हेतु सभी जिलों से 25-25 जन वितरण प्रणाली दुकानों को जिला आपूर्ति पदाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर नामित किया जायेगा । चरणबद्ध तरीके से सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों को **"दीनदयाल लोक वस्तु भण्डार"** के रूप में परिणत् कर दिया जायेगा ।

III. "राज्य स्तरीय उच्च प्राधिकार प्राप्त समिति" द्वारा इन केन्द्रों के माध्यम से विक्रय की जानेवाली सामग्रियों का निर्णय लिया जायेगा ।

IV. राज्य में जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से नन पी॰डी॰एस॰ सामग्रियों के संबंध में "राज्य स्तरीय उच्च प्राधिकार प्राप्त समिति" निम्नवत् होगी:-

| **क्र॰** | **पदाधिकारी** | **पदनाम** |
|---|---|---|
| i | माननीय मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड। | अध्यक्ष। |
| ii | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड। | सदस्य। |
| iii | विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड। | सदस्य। |
| iv | निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड | सदस्य सचिव। |
| v | महाप्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड। | सदस्य। |

v. सामग्री निर्णय के पश्चात् विभाग द्वारा इच्छा की अभिव्यक्ति प्रकाशित की जायेगी जिसके आधार पर राज्य स्तरीय आपूर्तिकर्ता का चयन किया जायेगा ।

vi. चयनित आपूर्तिकर्ता के द्वारा बैंक गारण्टी के रूप में विभाग के पास सुरक्षा राशि जमा की जायेगी ।

vii. सुरक्षा राशि प्राप्त होने के पश्चात् आपूर्तिकर्ता के नाम से आदेश जारी किया जायेगा ।

viii. इसके उपरान्त विभाग द्वारा नामित जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की सूची आपूर्तिकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी ।

ix आपूर्तिकर्ता के साथ विभाग द्वारा नामित जन वितरण प्रणाली दुकानदार एवं विभाग के प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी के साथ एक त्रिपक्षीय एकरारनामा किया जायेगा ।

x. एकरारनामा के पश्चात् दीनदयाल लोक वस्तु भण्डार दुकानदार द्वारा आपूर्तिकर्ता को सीधे क्रयादेश प्रदान किया जायेगा ।

xi. आपूर्तिकर्ता के द्वारा प्रथम बार की सामग्री बिना किसी भुगतान के दुकानदार को उपलब्ध करानी होगी जो कि अधिकतम 25 हजार रूपये की हो सकती है । इससे अधिक राशि संबंधित उचित मूल्य दुकानदार द्वारा आपूर्तिकर्ता को पन्द्रह दिनों के अन्दर भुगतान किया जायेगा । यदि सामग्री मिलने के साथ ही भुगतान किया जायेगा तो आपूर्तिकर्ता के द्वारा दुकानदार को 2 प्रतिशत का छूट प्रदान करना होगा । यदि पन्द्रह दिनों के पश्चात् भुगतान किया जाता है तो 0.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त भुगतान दुकानदार के द्वारा आपूर्तिकर्ता को करना होगा । इसी प्रकार दुकानदार द्वारा आदेशित किये जाने पर आपूर्तिकर्ता द्वारा उन्हें सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी, तद्नुसार भुगतान किया जायेगा । 25 हजार रूपये की प्राथमिक खरीदारी की प्रतिपूर्ति दुकानदार द्वारा छः माह के अन्दर निश्चित रूप से करना होगा ।

xii. विक्रय की जानेवाली नन पी॰डी॰एस॰ सामग्रियों पर निर्धारित लाभ में से 40 प्रतिशत लाभ जन वितरण प्रणाली दुकानदार को और शेष 60 प्रतिशत लाभ उपभोक्ताओं को दर में छूट के रूप में प्राप्त होगी ।

xiii. एकरारनामा के पश्चात् आपूर्तिकर्ता के द्वारा चयनित दुकानदारों को प्रशिक्षित किया जायेगा ।

xiv. इस प्रकार जन वितरण प्रणाली दुकानों को **"दीनदयाल लोक वस्तु भण्डार"** के रूप में परिणत् करने पर राज्य सरकार पर कोई भी वित्तीय भार नहीं पड़ेगा ।

xv. **"दीनदयाल लोक वस्तु भण्डार"** के माध्यम से आपूर्तिकर्ता के द्वारा उपलब्ध की जानेवाली सामग्री की रैण्डम जाँच विभाग द्वारा प्रयोगशाला में प्रत्येक तिमाही करायी जायेगी जिस पर हुये व्यय का वहन आपूर्तिकर्ता को करना होगा । लैब रिर्पोट गलत पाये जाने पर उनके द्वारा जमा सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी एवं उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा ।

xvi. यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री में किसी प्रकार के हानिकारक पदार्थ पायी जाती है तो उसकी आपूर्ति तत्काल प्रभाव से रोकी जा सकेगी । विभाग बिना किसी कारण बताये आपूर्ति आदेश को रद्द कर सकता है । इसके लिए विभाग पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा ।

xvii. "दीनदयाल लोक वस्तु भण्डार" योजना का अनुश्रवण प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी एवं जिला स्तर पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

xviii. यदि आपूर्तिकर्ता तथा दीनदयाल लोक वस्तु भण्डार दुकानदार के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निवारण संबंधित जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के निर्णय के विरूद्ध विभागीय प्रधान सचिव/सचिव के समक्ष अपील की जा सकती है ।

10. इस संकल्प से संबंधित विभागीय संलेख संख्या 4444 दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 7 नवम्बर, 2017 की बैठक में मद संख्या-03 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

ह०/-

**विनय कुमार चौबे,**

सरकार के सचिव ।

---

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 925-100